<u>न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर</u>

<u>अपील संख्याः– 511/2017 (18 आयुध अधिनियम 1959)(R.C.M.S . no 2017/00546)</u>

भंवरसिंह पुत्र श्री गर्णसिंह जाति राजपूत निवासी वदलेटाखुर्द थाना वालाघाट तहसील टोडाभीम जिला करौली।

.........अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली।

..........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 13.3.2015

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 23.5.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश क्रमांक न्याय/15/1657

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 13.03.2015 से 64 अनुज्ञापत्रधरियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र कम सं0 10 पर दर्ज है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर अपीलाधीन आदेश उसकी बैक पर पारित किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र काफी पुराना है एवं नियमानुसार नियमित नवीनीकरण भी होता रहा है साथ ही समय समय पर अनुज्ञापन अधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपीलान्ट द्वारा पालना की जाती रही है। आज भी अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश की पालना में वर्तमान में अपीलान्ट का शस्त्र थाना वालघाट जिला करौली में जमा है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कतई न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता क्यों कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र बिना किसी कारण के बिना अपीलान्ट को सुने अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापनत्र को अनिश्चित काल के लिये निलम्बित कर दिया है जो कानून के खिलाफ है। आयुध अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञापत्र अनिशचित काल के लिये निलम्बित नहीं किया जा सकता। अनुज्ञापत्र अधिकारी को वाजिव कारण सहित एक निश्चित अवधि तय करनी चाहिऐ थी किन्तु यहां तहत अदालत के पास न तो कोई कारण था और नाहीं कोई वजह बाबजूद इसके मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित करना न्याय संगत नहीं है। अपीलाधीन आदेश के प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही यह स्पष्ट जाहिर होता है कि यह गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया आदेश नहीं है। अपीलाधीन आदेश के अंतर्गत एक ही आदेश से 64 लाईसेंसो को निलम्बित किया गया है जिससे यह साफ है कि अपीलान्ट को न तो सुना गया न ही उसके व हैसियत अनुज्ञापत्रधारी के मापदण्डों का परीक्षण किया गया न ही ऐसी कोई वजह स्पष्ट हो सकी जिससे अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को बहाल न किया जा सके। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया आदेश है इसलिऐ अपीलान्ट को इसकी जानकारी ही नहीं थी । दिनांक 13.11.2017 को जिला मजिस्ट्रेट करौली के कार्यालय में सम्पर्क करने पर प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इस पर प्रार्थी ने उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया । दिनांक 15.11.2017 को नकल मिली तदोपरान्त वकील से सम्पर्क किया व दस्तावेजों की पूर्ति कर यह अपील होने जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। जिसके लिये पृथक

से दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.3.2015 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह है कि कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने आदेश क्रमांक न्याय/ पंआचु. 15/9356 दिनांक 29.12.14 से सभी अनुज्ञाधारियों को शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश दिये गये थे। परन्तु अपीलान्ट ने अपना शस्त्र अनुज्ञापत्र थाने में जमा नही कराया। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक करौली ने पत्रांक 1583 दिनांक 12.02.15 से अपने हथियार जमा कराने की सूचना दी थी परन्तु सूचना देने के बाबजूद हथियार जमा नही कराने पर पुलिस अधीक्षक ने उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही करने का पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली को जारी किया। जिसके आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 को पारित किया। तहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर सूचना के माध्यम से दिया है परन्तु अपीलान्ट ने उक्त सूचना पर शस्त्र जमा नही कराया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि– "Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन आदेश पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुऐ कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के द्वारा पारित किया गया था जो तत्समय उचित था किन्तु अपीलान्ट का कहना है कि अखबार साया के माध्यम से शस्त्र जमा कराने बाबत आदेश की अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी चूंकि अखवार की सूचना से अपीलान्ट महरूम रह गया अन्यथा आदेश की अक्षरशः पालना की जाती। लेकिन वर्तमान में आदेश की पालना करते हुये अपीलान्ट का शस्त्र संबधित थाने में जमा है। अपीलान्ट के इस कथन से हम सहमत है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से 64 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र निलम्बित किये हैं। वास्तव में उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नहीं है। न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की मंशा के मध्यनजर प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। दौराने पारित अपीलाधीन आदेश यदि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते थे। किन्तु कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा तत्कालीन कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुये समयाभाव होने की स्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था। वर्तमान में चूंकि परिस्थितियां परिवर्तित हो गई है। अतः प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण (केवल अनुज्ञापत्र संख्या 143370/88 के संबध में अपीलाधीन आदेश की क्रम संख्या 10 की हद तक) पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official